न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 144/16 वाद

श्री शंकरलाल पिता चेनराम पालीवाल निवासी खेमपुरा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. श्री परसराम पिता मोडीलाल भोई निवासी खेमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री प्रभुलाल पिता मोडीलाल भोई, निवासी, खेमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री पृथ्वीराज पिता मोडीलाल भोई, निवासी, खेमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री तुलसीराम पिता मोडीलाल भोई, निवासी, खेमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री आलोक जैन अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री आर.एस. राव अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांक :

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम मादडी पुरोहीतान पटवार हल्का मादडी पुरोहीतान तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में कृषि आराजी संख्या 81 रकबा 0–0150, आ.स. 82 रकबा 0.0100 हे., आ.स. 80 रकबा 0.0150 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि स्थित होकर उक्त भूमि में प्रतिवादीगण के पिता मोडीलाल पिता रता भोई का 1/3 व मोडीलाल के भाई चमनलाल व मोहनलाल का 1/3, 1/3 हिस्सा जो जमाबन्दी 2046 से 2049 में दर्ज है। मोडीलाल व उसके भाईयों के बीच बंटवाडा होने से मोडीलाल के हिस्से आराजी संख्या 82 रकबा 0.0100 हेक्टर भूमि आई जिसका वह एबसोल्युर मालिक बना व उक्त भूमि पर विक्रय से पूर्व मोडीलाल ही काबिज था, मोडीलाल द्वारा अपना 1/3 हिस्सा वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 21.06.1991 को विक्रय कर वादी को कब्जा सिपुर्द कर दिया। मोडीलाल पिता रता द्वारा अपने हिस्से की 1/3 वॉ हिस्सा जो विक्रय करने के वाद वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन सेहवन से वादी द्वारा खरीदी गई भूमि का नामान्तरण उसके नाम पर दर्ज नही हुआ, व मोडीलाल पिता रता के नाम ही दर्ज रही एवं मोडीलाल पिता रता की मृत्यु के बाद मोडीलाल के

वारिसान जो कि प्रतिवादीगण है के नाम मोडीलाल का 1/3 वॉ सम्पूर्ण हिस्सा उनके नाम दर्ज हो गया। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के नाम अंकित 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का इकबालिया जवाब प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में तनकीयात नहीं बनाई गई।

वादी ने अपने साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी ने अपने साक्ष्य में रजिस्ट्री व हाल जमाबन्दी की नकल संवत 2046 से 49 व संवत 2070 की नकल प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3, दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। मोडीलाल पिता रता द्वारा अपना 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा वादी शंकरलाल पिता चेनराम को विक्रय किया गया एवं प्रदर्श–1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज भूमि जो कि मोडीलाल पिता रता द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादी को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि मे 1/3 हिस्से को क्रय किया गया था परन्तु सेहवन से वादी के नाम नामान्तरकरण नही खुला एवं मोडीलाल पिता रता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम विरासत से भूमि दर्ज हो गई। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मादडी पुरोहीतान पटवार हल्का मादडी पुरोहीतान तहसील गिर्वा की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 170 आराजी नम्बर 82 रकबा 0–0100 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

(कमर चौधरी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा – उदयपुर